



## आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: डी-16, प्रथम तल, आईसीआईसीआई कंपनी के ऊपर, सेक्टर 14, प्रशांत विहार, नई दिल्ली-110085

### अचल संपत्ति की बिक्री/नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित सरफेसी अधिनियम के तहत) जबकि वितीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (संक्षेप में 'सरफेसी अधिनियम') के तहत आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (यहां बाद में "कंपनी" के रूप में संदर्भित) के अधिकृत प्राधिकारी ने और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे उल्लिखित कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानतियों से भुगतान की तिथि तक अनुबन्ध पर भावी ब्याज एवं लागतों, प्रभारों एवं व्ययों आदि सहित सूचना में उल्लिखित राशि का कथित सूचना की तिथिसे 60 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहते हुए सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी की थी।

कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधककर्ता/जमानती के निर्दिष्ट अवधि में उक्त राशि को चुकाने में विफल रहने पर, अधिकृत प्राधिकारी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के साथ पठित सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भौतिक कब्जा कर लिया है जिसकी बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के तहत कंपनी के बकायों की वसूली के लिए नीचे नीलामी अनुसूची के अनुसार निविदाएं/संविदाएं आमंत्रित करके "जहाँ है जैसे है", "जो कुछ भी है वहाँ है" तथा "उपचार रहित आधार" पर की जायेगी :

#### सम्पत्तियों का विवरण :

प्रथम तल (पीछे की ओर बाईं ओर) निर्मित सम्पत्ति प्लॉट नं. 91बी एवं 92, गली नं. 11, खसरा नं. 109/3/1 एवं 2 में से, राजस्व सम्पदा ग्राम पालम, राजा पुरी, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 में स्थित।

ज्ञात ऋण भार (यदि कोई हो)	उपलब्ध नहीं
आरक्षित मूल्य (रुपये)	18,76,000/-
जमा धरोहर राशि (रुपये में) प्रशांत विहार दिल्ली में देय 'आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में डीडी/पीओआईएन के माध्यम से	1,87,600/-
बोली वृद्धि राशि (गुणकों में)	50,000/-
इंफ़ीमडी के साथ मुहुरबंद प्रस्ताव/निविदा के साथ बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि, समय और स्थान	01.07.2022, 5:30 बजे अप., डी-16, पहली मंजिल, प्रशांत विहार रोहिणी सेक्टर-14, दिल्ली-110085
बोलियां खोलने की तिथि, समय और स्थान	11.07.2022, 11:00 पूर्वा., डी-16, प्रथम तल, प्रशांत विहार रोहिणी सेक्टर-14, दिल्ली-110085
संपत्तियों का निरीक्षण	25.06.2022, दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक
निविदा/बोली सह नीलामी फार्म की लागत	निल
असफल बोलीदाताओं की इंफ़ीमडी की वापसी	निविदा खुलने की तिथि के 2 दिन बाद
सफल बोलीदाता के लिए स्वीकृत उच्चतम बोली के 25% के भुगतान की अंतिम तिथि (इंफ़ीमडी सहित)	उसी दिन
उच्चतम बोली के शेष 75% राशि के भुगतान की अंतिम तिथि	बोली खुलने की तिथि के 15 दिनों के भीतर

#### ऋण का विवरण

कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता का नाम एवं पता	श्री आशिक अली एवं श्रीमती सव्या खातून निवासी म.नं. 714, प्रथम तल, तिहाड़ गाँव, विलक नगर, पश्चिमी दिल्ली-110018
सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि	17.07.2021
सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की राशि (रु. में)	रु. 20,00,383/- (रुपये बीस लाख तीन सौ तिरासी मात्र)
भौतिक कब्जे की तिथि	07.05.2022
बकाया देय (रु. में)	22,47,053/- 31.05.2022 तक

#### नीलामी के नियम तथा शर्तें :

1. संविदाकार को पूर्ण प्रस्ताव देना होगा। 2. बोलीदाताओं को एक सीलबंद लिफाफे में निम्नलिखित विवरण के साथ बोली फार्म जमा करना होगा, (i) व्यक्तिगत बोलीदाता/बोलीदाता कंपनी/बोलीदाता फर्म/बोलीदाता संगठन का पूरा नाम और विवरण (ii) पैन कार्ड की प्रति (iii) सक्रिय मोबाइल नम्बर (iv) ईमेल पता और (v) पते का प्रमाण। संबंधित केवाईसी दस्तावेजों और इंफ़ीमडी के साथ प्रस्तावों को एक लिफाफे में रखा जाएगा जिसे सील किया जाना चाहिए और उस पर "श्री आशिक अली एवं अन्य के मामले में प्रतिभूत आस्तियों/सम्पत्तियों की खरीद के लिए मैसर्स आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से प्रस्ताव" लिखना होगा और लिफाफे को सामान्य कार्य घंटों के दौरान प्राधिकृत अधिकारी डी-16, प्रथम तल, प्रशांत विहार सेक्टर-14 रोहिणी दिल्ली-110085 के कार्यालय में रखे गए निविदा बॉक्स में डालना होगा। 3. प्रत्येक निविदा/बोली/प्रस्ताव के साथ 'आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में दिल्ली में देय डी.डी./पी.ओ.आई.एन के माध्यम से प्रस्ताव राशि के 10% की जमा धरोहर राशि (इंफ़ीमडी) संलग्न करनी होगी। डी.डी./पी.ओ. निविदाकार/बोलीदाता की ओर से ही खरीदा जाना चाहिए। 4. नियत तारीख और समय के बाद प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा। 5. निविदाकार/बोलीदाता को उक्त संपत्ति के हस्तांतरण या उपयोग के संबंध में स्थानीय प्राधिकरण के नियमों और विनियमों का पालन करना होगा। 6. आयकर अधिनियम की धारा 194 (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार, यदि संपत्ति 50 लाख से ऊपर बेची जाती है तो खरीदार को सरकारी खजाने में उचित टीडीएस देना होगा और टीडीएस प्रमाण पत्र कंपनी में जमा करना होगा। 7. सफल बोलीदाता को उसके पक्ष में बिक्री की पुष्टि होने पर बोली राशि का 25% (बोली के साथ जमा की गई 10% इंफ़ीमडी सहित) तुरंत जमा करना होगा। भुगतान केवल दिल्ली में देय 'आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में आहरित कंपनी के चेक/डीडी के रूप में किया जाना है। 8. यदि सफल बोलीदाता बोली राशि का 25% जमा करने में विफल रहता है, तो बिना किसी सूचना के कंपनी द्वारा अग्रिम जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। सफल बोलीदाता कंपनी द्वारा बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर शेष बोली राशि जमा कर देगा। भुगतान में चूक के मामले में, इस प्रकार जमा की गई पूरी राशि बिना किसी सूचना के जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति की पुनः बिक्री की जायेगी। ऐसे मामले में सफल बोलीदाता का संपत्ति के संबंध में या उस राशि के किसी भी हिस्से पर कोई दावा नहीं होगा जिसके लिए इसे बाद में बेचा जा सकता है। कंपनी के पास सरफेसी नियम, 2002 के तहत निर्धारित किसी भी तरीके से संपत्ति को बेचने का अधिकार भी सुरक्षित है। 9. सभी पात्र बोलीदाताओं को इंटर-से बोली लगाने की अनुमति है। बोलीदाता(ओं) के बीच इंटर-से बोली के माध्यम से अपने प्रस्तावों में सुधार कर सकते हैं। इंटर-से बोली उच्चतम बोली खोले जाने के समय शुरू होगी। बोलीदाता 'बोली वृद्धि राशि' कॉलम के तहत उल्लिखित राशियों के गुणकों में अपने प्रस्ताव में सुधार कर सकते हैं। अधिकृत प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के अधीन उच्चतम बोली राशि जमा करने वाले और/या इंटर-से बोली (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) में विजयी बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा और उक्त उच्चतम बोलीदाता को इस आशय की सूचना जारी की जाएगी। 10. किसी भी राशि के भुगतान में किसी भी चूक की स्थिति में, या यदि क्रेता/बोलीदाता की ओर से किसी भी चूक के कारण निर्धारित समय सीमा के भीतर बिक्री पूरा न होने की स्थिति में, कंपनी को क्रेता/बोलीदाता द्वारा तब तक भुगतान किए गए सभी धन और प्रतिभूत

## आईबीसी, 2016 के अधीन ई-नीलामी बिक्री सूचना

सम्पत्तियों की बिक्री के लिए सूचना

**मैसर्स दुगल एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में)**

CIN: U26960DL1998PTC092946

की आईबीसी, 2016 के अधीन बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालय: एफ-38/2, (मारुति सर्विस स्टेशन के निकट), ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, चरण-II, नई दिल्ली-110020

परिसमापक का कार्यालय: बी-2/42, सेक्टर-18, रोहिणी, दिल्ली-110089

माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, न्यायालय-IV, नई दिल्ली द्वारा नियुक्त परिसमापक द्वारा मैसर्स दुगल एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) की सम्पत्ति की बिक्री। अधोहस्ताक्षरी द्वारा सम्पत्तियों की बिक्री ई-नीलामी प्लेटफॉर्म <https://ncltauction.auctiontiger.net> के जरिए की जाएगी।

विवरण	ई-नीलामी की तारीख एवं समय	आरक्षित मूल्य (रु.)	इंफ़ीमडी रकम	बोली वृद्धि मूल्य
एफ-38/2, (मारुति सर्विस स्टेशन के निकट), ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, चरण-II, नई दिल्ली-110020 में भूमि एवं भवन (क्षेत्र 600 वर्ग यार्ड)	दिनांक: 20/06/2022 समय: अपराह्न 3.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)	रु. 6,75,00,000 रुपये छह करोड़ पचहत्तर लाख मात्र	रु. 67,50,000 रु. सड़सठ लाख पचास हजार मात्र	रु. 1,00,000 रुपये एक लाख मात्र

निरीक्षण की तारीख: परिसमापक को पूर्व सूचना प्रदान कर दिनांक 18/06/2022 को अपराह्न 3.00 बजे तक।

ईओआई जमा करने की अंतिम तारीख: 18/06/2022 को अपराह्न 5.00 बजे तक।

प्रस्तावित नीलामी के नियम एवं शर्तें निम्नलिखित हैं:

- ई-नीलामी "जैसे है जहाँ है", "जैसे है जो है", "वहाँ जो कुछ भी है" तथा "बिना किसी दायित्व" के आधार पर संचालित की जाएगी। बिक्री अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजिज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) यानी <https://ncltauction.auctiontiger.net> के जरिए किसी भी प्रकार की वारंटी तथा क्षतिपूर्ति के बगैर संचालित की जाएगी।
- परिसमापक के पास बोलियों निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन जमा की जानी चाहिए। बोली प्रपत्र के साथ परिपूर्ण ई-प्रक्रिया के विस्तृत नियम एवं शर्तें वेबसाइट <https://ncltauction.auctiontiger.net> से डाउनलोड किया जा सकता है। सम्पर्क व्यक्ति: श्री प्रवीण +91-9722778828, ईमेल: [praveen.thevar@auctiontiger.net](mailto:praveen.thevar@auctiontiger.net), [nclt@auctiontiger.net/support@auctiontiger.net](mailto:nclt@auctiontiger.net/support@auctiontiger.net).
- परिसमापक के पास बिना कोई कारण बताए किसी अथवा सभी बोलियों को स्वीकार अथवा रद्द अथवा ई-नीलामी को स्थगित/निलंबित/रद्द करने अथवा ई-नीलामी से किसी भी चरण में किसी भी सम्पत्ति अथवा उसके हिस्से को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित है।
- बिक्री दिवालिया तथा ऋण अशोधन संहिता, 2016 तथा उसके अंतर्गत गठित विनियमों के प्रावधानों का विषय-वस्तु है।

हस्ता/-

प्रदीप उपाध्याय

परिसमापक, दुगल एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड

(परिसमापन में कंपनी)

तारीख: 08.06.2022

आईबी पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P01415/2018-19/12233

स्थान: दिल्ली

मोबाइल: 9811130194 | ई-मेल: [pradeepupadhyai@ibbi12233@gmail.com](mailto:pradeepupadhyai@ibbi12233@gmail.com)

To book your copy,  
SMS  
reachbs to 57575  
or email us at  
order@bsmail.in

Business Standard

Insight Out